न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35/2020

1. श्रीमती रियाज पत्नि श्री अब्दुल मजीद जाति मुसलमान निवासी सदर गली, देशवाली मौहल्ला, चमड़ाघर मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीया

बनाम

1. भू-धारी जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः 12/10/2021

उपस्थितः श्री रामदेव गुर्जर प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थीया की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदशुदा आराजी ग्राम तोलामाल पटवार क्षेत्र बड़गांव तहसील किशनगढ़ में स्थित है जिसके पूर्व ख0नं0 280/2 एवं वर्तमान ख0नं0 280/3 रकबा 01-18-14 है। प्रार्थीयां उपरोक्त भूमि में राजस्व अधिकार अभिलेख में अंकित हिस्से अनुसार काबिज, काश्त, उपयोग-उपभोग करती आ रही है। प्रार्थीया द्वारा दिनांक 02.03.2006 को श्री सिकन्दर खां पुत्र श्री हसन खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम खानपुरा तहसील व जिला अजमेर से सम्पूर्ण प्रतिफल अदा कर उप पंजीयक कार्यालय में विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया है तब से लगातार काबिज काश्त करती चली आ रही है अन्य किसी सह-खातेदार का कोई आराजी बाबत् दखलंदाजी नहीं है। प्रार्थीया सद्भाविक काश्तकार है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(24) के तहत् कृषक है एवं प्रार्थीया कृषि कार्य के अलावा अन्य कोई आजीविका का स्त्रोत नहीं है। प्रार्थीया का विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2006 में सहवन से टाईपिंग त्रुटिपूर्ण से वास्तविक नाम रियाज पत्नि श्री अब्दुल मजीद के स्थान पर रयाज बेगम पत्नि अब्दुल मजीत दर्ज हो [illegible] के आधार पर राजस्व रिकार्ड अधिकार अभिलेख में नामान्तरण [illegible] म पत्नि अब्दुल मजीत अंकित हो गया। उपरोक्त गलत अंकित नाम की [illegible] होते ही दिनांक 23.01.2020 विक्रय पत्र के आधार पर संशोधन पत्र, उपपंजीयक कार्यालय में उपरोक्त [illegible] श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.01.31 13:37:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

सिकन्दर खां पुत्र श्री हसन खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम खानपुरा तहसील व जिला अजमेर राज0 के द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में सही एवं वास्तविक नाम रियाज पत्नि श्री अब्दुल मजीद का निष्पादित कराया गया है जो अधिकार अभिलेख में नाम इन्द्राज दुरूस्त किये जाने योग्य है। सम्पूर्ण दस्तावेज रियाज पत्नि श्री अब्दुल मजीद के नाम से है त्रुटिपूर्ण अंकन से गलत हो गया है जिससे प्रार्थीया को सरकारी व गैर सरकारी काश्तकारों के लाभ के लिये निकाली गयी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों के नाम व जाति में इन्द्राज दुरूस्त करने बाबत् हाल ही में परिपत्र जारी किया गया है जो क्रमांक प0 4(1) राज–6/2006/16 जयपुर दिनांक 28.12.2017 को जारी किया गया है। जिसमें न्यायालय को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में अधिकार प्रदत्त किये गये है। जाति–नाम गलत इन्द्राज होने की दशा पर न्यायालय द्वारा जांच कर धारा 136 में जाति–नाम दुरूस्त कर सकते है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती कारण दिनांक 22.01.2020 को जब उत्पन्न हुआ कि प्रार्थीया द्वारा बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तब पटवारी हल्का ने जानकारी दी कि खाते में सहवन/विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2006 की टाईपिंग त्रुटि से गलत नाम रयाज बेगम पत्नि अब्दुल मजीत हो गया है जिसका इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। तब जानकारी होते ही दिनांक 22.01.2020 को विक्रेता सिकन्दर खां पुत्र हसन खां से उपरोक्त गलत इन्द्राज की बात कही तो विक्रेता सिकन्दर खां द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 23.01.2020 को संशोधन पत्र निष्पादित किया गया है जिसके पश्चात् अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अविलम्ब रूप से प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष संशोधन पत्र के आधार पर वास्ते रयाज बेगम पत्नि अब्दुल मजीत के स्थान पर सही नाम रियाज पत्नि अब्दुल मजीद किये जाने हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुती कारण निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थीया द्वारा ग्राम तोलामाल पटवार क्षेत्र बड़गांव तहसील किशनगढ़ स्थित जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदशुदा आराजी पूर्व ख0नं0 280/2 जिसके वर्तमान ख0नं0 280/3 रकबा 01–18–14 भूमि है के राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्र के आधार पर अंकित इन्द्राज रयाज बेगम पत्नि अब्दुल मजीत के स्थान पर संशोधन पत्र दिनांक 23.01.2020 के आधार पर वास्तविक/असल नाम रियाज पत्नि अब्दुल मजीद किये जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.01.31 13:37:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

अप्रार्थी को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं कर उक्त प्रार्थना पत्र पर सीधे ही बहस की गई।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदशुदा आराजी ग्राम तोलामाल पटवार क्षेत्र बड़गांव तहसील किशनगढ़ में स्थित है जिसके पूर्व ख0नं0 280/2 एवं वर्तमान ख0नं0 280/3 रकबा 01–18–14 है। प्रार्थीया का विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2006 में सहवन से टाईपिंग त्रुटिपूर्ण से वास्तविक नाम रियाज पत्नि श्री अब्दुल मजीद के स्थान पर रयाज बेगम पत्नि अब्दुल मजीत दर्ज हो गया एवं इसी विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड अधिकार अभिलेख में नामान्तकरण खुलकर रयाज बेगम पत्नि अब्दुल मजीत अंकित हो गया। उपरोक्त गलत अंकित नाम की जानकारी होते ही दिनांक 23.01.2020 विक्रय पत्र के आधार पर संशोधन पत्र, उपपंजीयक कार्यालय में उपरोक्त विक्रेता श्री सिकन्दर खां पुत्र श्री हसन खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम खानपुरा तहसील व जिला अजमेर राज0 के द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में सही एवं वास्तविक नाम रियाज पत्नि श्री अब्दुल मजीद का निष्पादित कराया गया है जो अधिकार अभिलेख में नाम इन्द्राज दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः वकील प्रार्थीया द्वारा ग्राम तोलामाल पटवार क्षेत्र बड़गांव तहसील किशनगढ़ स्थित जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदशुदा आराजी पूर्व ख0नं0 280/2 जिसके वर्तमान ख0नं0 280/3 रकबा 01–18–14 भूमि है के राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्र के आधार पर अंकित इन्द्राज रयाज बेगम पत्नि अब्दुल मजीत के स्थान पर संशोधन पत्र दिनांक 23.01.2020 के आधार पर वास्तविक/असल नाम रियाज पत्नि अब्दुल मजीद किये जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

4.2 अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम तोलामाल के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 के खाता संख्या नया 147 पुराना 137 ख0नं0 280/3 रकबा 01–18–14 भूमि में प्रार्थीया का नाम रयाज बेगम पत्नि अब्दुल मजीत विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2006 के आधार पर खोला गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। प्रार्थीया द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2006 के संबंध में जारी संशोधन पत्र दिनांक 23.01.2020 के आधार पर रयाज बेगम पत्नि अब्दुल मजीत के स्थान पर रियाज बेगम पत्नि अब्दुल मजीद करवानी चाहती है। प्रार्थीया के

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.01.31 13:37:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

आधार कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थीया का नाम रजिया बेगम दर्ज है एवं प्रार्थीया के पति का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र में अब्दुल मजीद है।

6. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात् का अद्योपांत अवलोकन एवं अध्ययन किया जाकर बहस पक्षकारान् सुन मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 के खाता संख्या नया 147 पुराना 137 में ग्राम तोलामाल स्थित वर्तमान ख0नं0 280/3 रकबा 01–18–14 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम रयाज बेगम पत्नि अब्दुल मजीत दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया द्वारा पेश दस्तावेजात् यथा पंजीकृत संशोधन पत्र दिनांक 23.01.2020 व प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति के आधार कार्ड, पहचान पत्र व राशन कार्ड एवं वकील प्रार्थीया की बहस अनुसार प्रार्थीया का वास्तविक नाम रियाज बेगम पत्नि अब्दुल मजीद है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजथान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को ग्राम तोलामाल स्थित खाता संख्या नया 147 पुराना 137 वर्तमान ख0नं0 280/3 रकबा 01–18–14 भूमि में दर्ज प्रार्थीया के नाम रयाज बेगम पत्नि अब्दुल मजीत के स्थान पर रियाज बेगम पत्नि अब्दुल मजीद का अंकन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12/10/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.01.31 13:37:29 IST
Reason: SelfAttested